आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि. 30-25/2020 - 235

प्रेषक,

योगेन्द्र राम
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 30.01.2021

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।
प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसमें मतदाताओं की अर्हता तिथि 01.01.2021 निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधान सभा की निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी साथ-साथ चल रहे हैं, जिसकी अर्हता तिथि भी 01.01.2021 है। कतिपय जिलों द्वारा पृच्छा की जा रही है कि विधान सभा के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु प्रपत्र-6 प्राप्त हुये हैं, उन्हें पंचायत मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं ?

यहाँ यह स्पष्ट करना है कि 01.01.2020 अर्हता तिथि पर तैयार बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची जिसपर बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 कराये गये हैं, को ही पंचायत मतदाता सूची का आधार बनाया गया है। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 हेतु तैयार किये जा रहे मतदाता सूची में दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर नये नाम को सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रपत्र-घ के माध्यम से प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 01.01.2021 की अर्हता पर तैयार किये जा रहे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची और पंचायत मतदाता सूची, 2021 बिल्कुल अलग है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायत मतदाता सूची में दिनांक 01.01.2021 को अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से प्रपत्र-घ में प्राप्त दावा के आधार पर ही पंचायत मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जायेंगे।

अनुरोध है कि आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार कराते हुए त्वरित कार्रवाई कराया जाय ताकि कोई सुयोग्य मतदाता मत देने से वंचित न रहे।

विश्वासभाजन,
30/01/2021
सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm3\P_E_2021\77

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 235 पटना, दिनांक – 30.01.2021

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 235 पटना, दिनांक 30.01.2021

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 235 पटना, दिनांक – 30.1.2021

प्रतिलिपि, निदेशक,सॉफ्टवेयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च प्रा. लि. को आयोग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव। 30/01/2021